न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी, सीकर
पीठासीन अधिकारीः–सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या–38/19 दिनांकः– 3.10.2019

मोतीजुग चैरिटेबल ट्रस्ट मोती जुग हाऊस 1 आकलैण्ड पैलेस कलकत्ता (पं. बंगाल) जरिये मुख्यतयार मुकेश कुमार चौधरी पुत्र निरजन लाल चौधरी जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 09 रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर राज.।

.....वादी

बनाम

1. सरोज देवी पत्नी संतोष कुमार सर्राफ जाति महाजन निवासी वार्ड स. 10 कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
2. कान्ता देवी पत्नी रामगोपाल
3. ज्योति पुत्री रामगोपाल
4. पवन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा
6. विनोद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा
7. सुशील कुमार पुत्र रामगोपाल समस्त जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नम्बर 11 रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
8. तहसीलदार महोदय रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व संशोधन नक्सा ट्रेस

उपस्थिति अधिवक्ताः– श्री सुरेन्द्रपाल सिंह(वादी की ओर से)

–:निर्णयः–

प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र/वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी के स्वामित्व खातेदार कब्जे की कृषि भूमि जिसका पुराना ख.न. 3/198/1/1 रकबा 0.2100 है0 जिसका नया खसरा नम्बर 63 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/2 जिसका नया खसरा नम्बर 64 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/3 जिसका नया खसरा नम्बर 65 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/4 जिसका नया खसरा नम्बर 66 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/5 जिसका नया खसरा नम्बर 67/424 रकबा 0.2100 है0 वाके ग्राम रूकनसर तह. रामगढ़–शेखावाटी जिला सीकर में अवस्थित है।

उक्त विवादित कृषि भूमियों का खातेदार कब्जा स्वामित्व वादी का है उक्त दावा उक्त समस्त ख.न. के नक्शा त्रुटि बाबत पेश किया जा रहा है।

उक्त पुराना ख.न. 3/198/1/1 रकबा 0.2100 है0 जिसका नया खसरा नम्बर 63 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/2 जिसका नया खसरा नम्बर 64 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/3 जिसका नया खसरा नम्बर 65 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/4 जिसका नया खसरा नम्बर 66 रकबा 0.2100 है0 व पुराना खसरा नम्बर 3/198/1/5 जिसका नया खसरा नम्बर 67/424 रकबा 0.2100 है0 ग्राम रूकनसर तह. रामगढ़–शेखावाटी नेशनल हाईवे 65 जिसका मौके पर ख.न. 62 अवस्थित है के पश्चिम साईड में रोड पर अवस्थित तथा ख.न. 62 नेशनल हाईवे 65 व वादी के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि के मध्य अन्य कोई ख.न. की कृषि भूमि अवस्थित नहीं है। जिसको वर्तमान नक्शा सीट बनाते समय त्रुटि वंश वादी की उक्त कृषि भूमियों

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

ख.न. 62 नेशनल हाईवे 65 के मध्य में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 7 कि कृषि भूमियां ख.न. 63/430 रकबा 0.1500 है0 व खसरा नम्बर 65/431 रकबा 0.090 है0 व खसरा नम्बर 67/432 रकबा 0.070 है0 व खसरा नम्बर 67/433 रकबा 0.050 है0 खसरा नम्बर 67/434 रकबा 0.040 है0 वाके ग्राम रूकनसर को दर्शा दिया जो गलत अवैध है।

इस प्रकार प्रतिवादीगण की स्वामित्व खातेदारी की भूमियों खसरा नम्बर 62 नेशनल हाईवे संख्या 65 के पश्चिम साईड पर कभी नहीं रहा है लेकिन गलत रूप से उनकी खातेदारी की भूमियों को सड़क के पश्चिम में दर्शा दिया जो गलत है तथा उसे सही किया जाना न्यायोचित है।

सैटलमैन्ट कर्मचारियों ने भूलवश उक्त त्रुटि कर दी वर्तमान नक्शा सीट बनाते समय वादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा सेटलमैन्ट कर्मचारी पूर्व की राजस्व इन्द्राजात को पुनः दर्ज कर सकते है उनको पूर्व राजस्व इन्द्राजात को कम व अधिक करने व सीमा बदलने का अधिकार नहीं है।

वादी की उक्त कृषि भूमियों का वर्तमान नक्शा बनाने से वादी की भूमियों की उपयोगिता कम होती है, वादी की भूमियों की उपयोगिता कम करने का अधिकार सेटलमैन्ट व राजस्व कर्मचारियों को नहीं है।

वादी वर्तमान नक्शा सीट को गत नक्शा सीट के मुताबिक नक्शा दुरूस्त करवाने का अधिकारी है अर्थात गत नक्शा सीट के अनुसार वादी के स्वामित्व खातेदारी कब्जे के भूमियों को नेशन हाईवे स. 65 जिसका ख.न. 62 पर पश्चिम साईड में दर्शाया जाना वर्तमान नक्शा सीट को गत नक्शा सीट के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र तथाकथित दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी/वादी तथा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 ने राजीनामा पेश किया है, जो बाद तस्दीक शामिल मिशल किया गया है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी ने रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक–भू.अ./2019/738 दिनांक 20.08.2019 पेश की।

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र/वाद के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्तानुसार संशोधन किया जावे। तहसीलदार के प्रतिनिधि के रूप में भू.अ.नि. रामगढ़ शेखावाटी ने निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से नेशनल हाईवे नम्बर 65 विस्थापित होता है। उक्त नेशनल हाईवे मौके पर चालु है।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन के बाद निम्नलिखित कारणों से प्रकरण खारिज किए जाने योग्य हैः–

1. हस्तगत प्रकरण यद्यपि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है परंतु इस तथ्य का निर्णय प्रकरण के हेडिंग में दर्ज कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाकर प्रार्थी अथवा वादी द्वारा प्रस्तुत की गई प्लीडिंग एवं उनके द्वारा चाहे गए अनुतोष के आधार पर किया जाता है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किए तथ्यों के अनुसार वह विवादित आराजी के बारे में घोषणात्मक अनुतोष चाह रहा है। प्रार्थना पत्र में भी वादी एवं प्रतिवादी के रूप में पक्षकारों को संबोधित किया गया है। प्रार्थी तथाकथित वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष घोषणात्मक है। अतः सिर्फ प्रार्थना पत्र में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अंकित कर देने से यह नहीं माना जा सकता कि यह प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से शासित नहीं है। अतः प्रकरण का निर्णय दावे के रूप में किया जाना उचित है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि वर्तमान खसरा नंबर 62 राष्ट्रीय राजमार्ग 65 की अवस्थिति में पक्षकार बदलाव चाहते हैं। तथाकथित प्रार्थना पत्र/दावा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पक्षकारों द्वारा चाहे गए अनुतोष को स्वीकार किए जाने की स्थिति में नई सड़क का निर्माण अपेक्षित होगा। तहसीलदार रामगढ़ को सिर्फ भूमि धारक की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। राज्य सरकार अथवा उसके अधिनस्थ अधिकारियों को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए जाने की भी कानूनन बाध्यता है। अतः आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नही बनाए जाने के कारण हस्तगत प्रकरण खारिज होने योग्य है।

3. वादी/प्रार्थी द्वारा हाल खसरा नंबर 62 पुराने खसरा नंबर 3/198/2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 की अवस्थिति को बदलने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी/ वादी का कथन है कि सेटलमेंट से पहले वर्तमान खसरा नम्बर 64, 65, 66, 67/424 वाके ग्राम रूकनसर की वर्तमान नक्शा सीट को पूर्व नक्शा सीट के अनुसार दुरस्त कर वादी के खातेदारी स्वामित्व की उक्त कृषि भूमियों व खसरा नम्बर 62 के मध्य दर्शित प्रतिवादीगण के कृषि भूमियां वर्तमान खसरे नम्बर 56, 63/430, 57, 65/431, 58, 67/432, 59, 67/433, 60 व 67/434 वाके ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी को हटाकर खसरा नम्बर 62 सडक के पूर्व साईड में दर्शित तथा वादी कृषि भूमियां पूर्व नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 62 सड़क पर पश्चिम साईड में दर्शित करने का अनुतोष चाहा है। सेटलमेंट अथवा राजस्व विभाग के कर्मचारियों को नक्शे में परिवर्तन करने की अधिकारिता नहीं होने के कारण इन भूखंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व दिशा की ओर अंकित करने का अनुतोष चाहा है। न्यायालय प्रतिनिधि तहसीलदार के इस कथन से सहमत है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मौके पर चालू है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की अवस्थिति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जा कर सुनवाई के पश्चात अंतिम अधिसूचना जारी की गई है। पक्षकारों को चाहिए था कि संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रकरण के बारे में आपत्तियां दर्ज करवाते। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पक्षकारों की आपत्तियों का निर्णय किया गया हो। धारा 63 अवस्थिति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहित भूमि के बारे में सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण में क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

—:आदेशः—

अतः आदेश है कि प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय की क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम हो। निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner